



घरेलू हिंसा पर वैश्वीकरण प्रभाव का एक अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. प्रियंका पाण्डेय

अतिथि विद्वान समाजशास्त्र

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

महिलाओं के साथ मानसिक व शारीरिक रूप से रंग-भेद या अन्य किसी भी कारण से किया गया असहनीय व्यवहार घरेलू हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम का निर्माण सन 2005 में किया गया और 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया। यह अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही महिला बाल विकास द्वारा संचालित किया जाता है। हमारे देश में बालिकाओं में शिक्षा का सबसे बड़ा कारण निर्धनता है। आज ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा तथा कमजोर मनोबल पाया जाता है भारतीय समाज में घरेलू हिंसा से तात्पर्य महिलाओं के निकट रिश्तेदारों जैसे माता-पिता, भाई-बहन, सास-ससुर, ननद-भाभी या परिवार के किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार है जो नारी को शारीरिक, मानसिक आघात पहुंचा है। महिलाओं को शारीरिक मानसिक व मौखिक इत्यादि प्रताड़ित किये जाने वाला कार्य घरेलू हिंसा कहलाता है। महिलाओं को आज अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है विधवाओं को अनेक अधिकारों से वंचित रखा जाता है उन्हें अनेक प्रकार के कस्ट दिये जाते हैं। यहा तक कि दहेज को लेकर नारी को जिन्दा जला दिया जाता है। वैश्वीकरण के दौर में नारी की मुश्किलें बढ़ते मशीनीकरण से नौकरियों में असुरक्षा, कम वेतन, परंपरागत हुनर की अनदेखी, विदेशी कंपनियों की मनमानी शर्त, उनके समक्ष हमारे कानूनों की असमर्थता बढ़ता भ्रष्टाचार, ये परिस्थितियां औरत को न्याय दिलाने में असमर्थ है वैश्वीकरण के कारण विकसित देशों में महिलाएं निर्धनता एवं भेदभाव का शिकार हो रही है। एक ही तरह के काम में पुरुष और महिला में भेदभाव किया जा रहा है दोनों के वेतन में भिन्नता है आज भी महिलाएं अशिक्षा, कुपोषण और निर्धनता का शिकार हो रही है आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं के श्रम को सीधे उत्पादन से जोड़ा जाए। उसका उत्पादन से सीधा संबंध सुनिश्चित नहीं होता जबकि परोक्ष रूप से उसका श्रम उत्पादन में सहायक होता है। इसी कारण से पुरुष विशिष्ट हो गए और औरत महत्वहीन रह गई।

मुख्य शब्द :- अत्याचार, वैश्वीकरण, पारिवारिक संबंध, घरेलू हिंसा आदि।

प्रस्तावना :-

एक ही छत के नीचे संयुक्त परिवार/एकल परिवार के पारिवारिक सदस्य जो समग्रता/संगोत्रता/दत्तक/विवाह द्वारा बनाए गए रिश्ते के रूप में रह रहे या रह चुके महिला एवं बच्चे जो (18 वर्ष या उनमें कम उम्र के हो) किसी भी महिला का शारीरिक मानसिक उत्पीड़न या शोषण करना क्षति पहुंचान, जबरदस्ती, अपमान, आरोप लगाना, मार-पीट, दबाव, धमकी इत्यादि महिला हिंसा कि श्रेणी में आता है। यदि यही व्यवहार पारिवारिक सदस्यों नातेदारों पति पुरुष महिला वर्ग द्वारा तथा कार्यालयीन परिवारों के सदस्यों (क्योंकि ये भी एक तरह का परिवार होता है) द्वारा किया जाय तो इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। ज्यादातर घरेलू हिंसा महिलाओं के पक्ष में ही होती है तथा वृद्ध और बच्चे भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं।

1. किसी भी महिला को कमजोर समझकर या उसे डराने धमकाने या उसका अनुचित लाभ उठाने के लिए कि गई हिंसा को महिला हिंसा कि श्रेणी में रखा गया है।



2. यह वो हिंसा है जिसका सामना केवल महिलाओं को घर, परिवार समाज में करना पड़ता है।
3. यह दण्डनीय अपराध है।

इसके कारण है पुरुष प्रधान समाज, पुरुष अहंकार, सामाजिक तनाव, लालच इत्यादि। भारत में पत्नी के रूप में नारी की प्रतिष्ठा रही है, उसे गृह लक्ष्मी के रूप में सम्बोधित किया गया है पत्नी को पुरुष की अर्धांगिनी, सहचारिणी, धर्मपत्नी कहा जाता है। पत्नी के अभाव में पति द्वारा किये गये कार्य निष्फल समझे जाते हैं। विवाह के बाद पति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पत्नी का भरण पोषण करेगा, उससे प्रेम करेगा और संरक्षण प्रदान करेगा, किन्तु अनेक स्त्रियों के प्रति घर में हिंसा का व्यवहार किया जाता है उन्हें लातों, घूसों, चाटों व लकड़ियों (डण्डों) से मारा जाता है। महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही हैं, जितने काल के हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध है। आज शनैः शनैः महिलाओं को पुरुषों के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोग माना जाने लगा है, परन्तु कुछ दशक पहले तक उनकी स्थिति दयनीय थी विचारधाराओं, परम्परागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यावहारिक रिवाज आज भी पनप रहे हैं। स्वाधीनता के पश्चात् हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाये गये कानूनों, महिलाओं में शिक्षा का फैलाव और महिलाओं की धीरे-धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद बलात्कार किया जाता है उनको जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। पिछले कुछ दशकों में नारी के प्रति अपराध एवं हिंसा (अथवा हिंसात्मक अपराध) की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है तथा यह समाज वैज्ञानिकों, नीति-निर्धारकों, समाज-सुधारकों व अन्य सभी के लिए एक गहन चिन्ता का विषय बना हुआ है। सही भी है क्योंकि नारी को सुरक्षा व सुख प्रदान करने के बदले पुरुषों ने नारी को तिरस्कृत किया है, उसकी उपेक्षा की है, उसका अपमान व शोषण किया है तथा यहाँ तक कि उसकै साथ अमानवीय हिंसात्मक व्यवहार भी किया है। मानवीय इतिहास में होने वाली ऐसी घटनाओं की वृद्धि के प्रति वस्तु चिन्ता होना स्वाभाविक ही है। आज नारी के प्रति अनेक प्रकार के अपराध हो रहे हैं। अपराध कानूनी रूप से परिभाषित शब्द ही नहीं हैं, अपितु सामाजिक दृष्टि से भी परिभाषित शब्द हैं। सामाजिक दृष्टि से इसे सामाजिक नियमों का उल्लंघन या विचलन कहा जाता है। नारी को शारीरिक व मानसिक यातनाएं देना, उसके साथ मार-पीट करना, उसका शोषण करना, नारीत्व को नंगा करना, भूखा-प्यासा रखकर या जहर आदि देकर उसको दहेज की बलि चढ़ा देना निश्चित रूप से नारी के प्रति अपराध ही कहें जाएंगे पूरे देश में नारियों के प्रति अपराधों एवं हिंसक घटनाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है एक वर्ष राज्यसभा में सरकार द्वारा केवल दिल्ली के बारे में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उनसे यह स्पष्ट पता चलता है कि उनके प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है।

आंकड़ों का प्रकाशन करता है। इसी संगठन द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आंकड़े जो 'क्राइम इन इण्डिया' में प्रकाशित किये जाते हैं। उनके अनुसार भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होती जा रही है। भारतीय सरकार के गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्यरत संगठन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो प्रति वर्ष भारत में अपराध सम्बन्धी आंकड़ों का प्रकाशन करता है। इसी संगठन द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आंकड़े जो 'क्राइम इन इण्डिया' में प्रकाशित किये जाते हैं। उनके अनुसार भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होती जा रही है। राम आहूजा ने नारी के प्रति होने वाले अपराधों एवं हिंसा को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है—

अपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा तथा सामाजिक हिंसा। प्रथम श्रेणी में उन अपराधों को रखा जा सकता है जो कि पुरुष द्वारा नारी के प्रति आपराधिक हिंसा की प्रवृत्ति के कारण किए जाते हैं। बलात्कार, अपहरण तथा हत्या इस प्रकार के अपराधों के प्रमुख उदाहरण हैं। द्वितीय श्रेणी में परिवारों में नारी के साथ किए जाने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को सम्मिलित किया जाता है। दहेज हत्याएँ, पत्नी को पीटना तथा विधवाओं पर होने वाले अत्याचार इस श्रेणी के प्रमुख उदाहरण हैं तीसरी



श्रेणी सामाजिक हिंसा की है, जिसमें पत्नी/बहू को श्रूण-हत्या के लिए विवश करने, छेड़छाड़, युवा विधवाओं को श्सीश के लिए विवश करने, नारियों की सम्पत्ति में हिस्सा न देने, बहू को अधिक दहेज लाने के लिए उत्पीड़ित करने जैसी हिंसक वारदातों को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक हिंसा की यौन शोषण व यौन उत्पीड़न के रूप में भी देखा जा सकता है।

महिलाओं के विरुद्ध घर और बाहर ब तले दबे वैश्विक व्यवस्था बढ़ती आय विभिन्नता असमानता गरीबों असहाय बना दिया महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका पर वैश्वीकरण प्रभाव पड़ा है। मानव विकास विश्लेषण होता है कि वैश्वीकरण ने विकास एवं सुधार की तुलना में महिलाओं का पतन किया है। उदाहरण के लिए विश्व में भारत लिंग अनुपात पर एक महिला स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का उपयोग कर पाती है। ज्यादातर महिलाएं असंगठित संस्थाओं करती और नियमहीनता के चलते शोषण का शिकार होती पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं घातक महिलाओं का इस व्यवस्था में सदियों से शोषण होता आ रहा है। इसके अलावा कार्य करती महिलाओं जीवन तरह खराब पोषाहार स्वास्थ्य में गिरावट के कारण प्रभावित हुआ इस तरह महिलाएं दोहरी शोषण शिकार हैं।

सामान्य प्राकृतिक स्रोतों का निजीकरण पर्यावरण के लगातार –हास के लिए जिम्मेदार है, साथ ही ऐसी महिलाओं को जीवन की आवश्यकताओं को भी जुटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जिनका जीवन प्राकृतिक स्रोतों से जुड़ा है। भारतीय प्राकृतिक स्रोतों का वैश्विक शोषण के लिए मुक्त कर देना कई चुनौतियों को खड़ा कर रहा है। उपभोक्तावाद, हिंसा तथा स्वच्छंद यौन व्यवहार आदि का समाज व महिलाओं पर घातक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं पर बढ़ती हुई घरेलू हिंसा भी चिंतनीय है। महिलाओं के प्रति यौन अपराध उनकी स्थिति को और भयानक बना रहा है गृह मंत्रालय के क्राइम रिकार्ड ब्यूरो को यदि सच माना जाय तो प्रत्येक 47 मिनट पर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है या अपहरण होता है। पति या निकट संबंधी द्वारा महिलाओं की हत्या या यौन शोषण होना आम बात हो गई है। दहेज के कारण 17 महिलाएं रोज मरती हैं। बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, बावजूद महिलाओं का अवमूल्यन करता है। इस तरह वैश्वीकरण जहां विकासशील देशों के विकास को सुनिश्चित करता है, वहीं समाज की आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को अधिक उत्पीड़ित करने का प्रयास करता है। इससे महिलाओं का निरंतर – हास तथा उत्पीड़न हुआ है। अतः वैश्वीकरण जहाँ कुछ महिलाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, वहीं कुछ की स्थिति बद से बदतर हो गई है।

शोध का उद्देश्य एवं उपयोगिता:

भारतीय समाज में हो रही घरेलू हिंसा की घटना एक प्रमुख समस्या है इस समस्या के समाधान हेतु सरकार स्वयं प्रयत्नशील है इस संबंध में अधिक सुविधापूर्वक तरीके से जनमत को जानने हेतु सरकार, देश की उच्च शिक्षित संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना चाहती है तथा प्राप्त भी कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदि। इसके अलावा गैर सरकारी संस्थाएं भी महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा के कारणों जैसे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, दहेज, वैश्यावृत्ति, कन्या भ्रूण हत्या आदि कारणों के पक्षों को जानने एवं समाधान के लिए सभी पक्षों का विश्लेषण करना होगा। इन उपरोक्त पक्षों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार निश्चित किया गया है।

1. घरेलू हिंसा का वर्तमान संदर्भ में अवधारणात्मक निरूपण करना।
2. घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. स्त्रियों का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
4. स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता को कम करना।
5. स्त्रियों में बढ़ती हुई वैश्यावृत्ति पर रोक लगाना।



शोध प्रविधि :


ज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य अपरिहार्य है वर्तमान युग में शोध या अनुसंधान का अत्यधिक महत्व क्योंकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण, एवं सत्यापन अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है। शोध कार्य में भारतीय समाज में घरेलू हिंसा से सम्बन्धित वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है प्राथमिक आकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मल स्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किये गये हैं जबकि द्वितीयक आंकड़े घरेलू हिंसा संबंधित विभिन्न प्रकाशित अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं।

आकड़ों का वर्गीकरण और सारणीयन : अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों को प्राप्त करने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है-

सारणी क्रमांक 01: परिवार का स्वरूप कैसा है

क्र.	महिलाओं की वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
01	संयुक्त परिवार	18	36
02	एकल परिवार	32	64
	योग -	50	100

आरेख क्रमांक 01 परिवार का स्वरूप कैसा है




उपर्युक्त सारणी क्रमांक 01 के विवेचना से स्पष्ट है कि 64 प्रतिशत लोग एकांकी परिवार में रह रहे हैं, तथा संयुक्त परिवारों की संख्या 36 प्रतिशत है।

सारणी क्रमांक 02: परिवार में महिलाओं के प्रति व्यवहार कैसा है

क्र.	महिलाओं के प्रति व्यवहार	आवृत्ति	प्रतिशत
------	--------------------------	---------	---------




01	अच्छा	20	40
02	बुरा	30	60
	योग –	50	100



उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 40 महिलाओं ने बताया कि परिवार के सदस्यों द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, जबकि 60 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि परिवार के सदस्यों के द्वारा उनसे बुरा व्यवहार किया जाता है।

सारणी क्रमांक 03: सूचनादाताओं की वैवाहिक स्थिति कैसी है

क्र.	सूचनादाताओं की वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
01	विवाहित	28	56
02	अविवाहित	14	28
	विधवा	08	16
	योग –	50	100



उपर्युक्त सारणी क्रमांक 03 से स्पष्ट है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में 56 प्रतिशत, 28 प्रतिशत महिलाएँ अविवाहित तथा 16 प्रतिशत महिलाएँ विधवा की श्रेणी में जीवन यापन कर रही हैं।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि वैश्वीकरण के कारण घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की धार्मिक परम्पराओं और कुछ परिवर्तन हो गया है। शोध विषय के संदर्भ में अध्ययन करने के उपरान्त शोधकर्ता द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त किया गया है कि भारतीय समाज में रहने वाली महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने हेतु सहायता प्रदान की गई है, क्योंकि शासन द्वारा भारतीय समाज के विकास एवं कल्याण समय पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन व लालच कारण इन योजनाओं का समय पर मूल्यांकन नहीं किया गया। वर्तमान परिस्थिति को देखने से पता चलता कि इनकी उनके विकास की आवश्यकता महिलाएँ शोषण, हिंसा अपराध के प्रति जागरूक स्थिति दयनीय है जिसमें सुधार व उनके विकास की आवश्यकता है। महिलाएँ शोषण, हिंसा व अपराध के प्रति जागरूक हो रही हैं। पर्दा-प्रथा में भी कमी आई है। दोहरी भूमिका के साथ-साथ वे बच्चों और परिवारों के विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करती हैं।

सुझाव :-

1. अहिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिला न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए, जहाँ अपने ऊपर हो हिंसा के खिलाफ अपील कर सके।
2. हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिये तथा उचित परामर्श देने लिए स्वयंसेवी संगठनों की स्थापना की जानी चाहिये।
3. महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों को दण्डित किया जाना चाहिये, ताकि उन्हें सबक मिल सके।
4. महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिये कानून आर्थिक मदद देने एवं उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिये अधिक से अधिक महिला संगठनों की स्थापना की जाय।



IJARSCT

Impact Factor: **6.252**

IJARSCT

ISSN (Online) 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)

Volume 2, Issue 1, November 2022

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. सिंह डॉ निशात (2011)–अपराध बनाम महिलाएँ खुशी प्रकाशन, दिल्ली।
2. डॉ. ममता (2010)– घरेलू हिंसा अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रो आभा एव आहूजा प्रकाशन दिल्ली।
3. सक्सेना एस.सी (1992) श्रम समस्या एवं सामाजिक सुरक्षा, रस्तोगी पब्लिकेशन शिवाजी रोड मेरठ